

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 07 सितम्बर, 2018 ई0 भाद्रपद 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1

संख्या 620/IX-1/2018/13/2018 देहरादून, 07 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प0 आ0-77

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या—59, सन् 1988) की धारा 102 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या—116/ix—/2018/13/2018, दिनांक 18 मई, 2018 के अग्रसरण में सुनवाई के पश्चाद लोक हित में अनुमोदित स्कीम को उपान्तरित करते हुए देहरादून से लालतप्पड़ (बिरला यामाह) तथा देहरादून से डांडी (बिरपुर) तक सेवा के संचालन की दूरी 20 किमी० से बढ़ाकर 30 कि०मी० के अर्धव्यास के भीतर परिवहन निगम की बस सेवा के अतिरिक्त निजी बसों के अनुपूरक प्रचालन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 620/IX-1/2018/13/2018, dated September 07, 2018 for general information:

No. 620/IX-1/2018/13/2018 Dated Dehradun, September 07, 2018

NOTIFICATION

In the exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), in pursuance of the notification no. 116 /ix-1/2018/13/2018, Dated 18 May, 2018 after hearing, in public interest the Governor is pleased to allow supplementary operation by modifying the Approved scheme of bus service extending the radius from 20 km to 30 km for the routes namely, Dehradun to Lal tapper (Birla yamaha) and Dehradun to Dandi (Birpur) of private buses in addition to bus service of the Transport Corporation.

By Order,

SHAILESH BAGAULI, Secretary.